इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2020—भाद्र 20, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ ए 3-85/2017/1/पाँच (55) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017)(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की शिफ़ारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-85-2017-1-पांच (07) दिनांक 8 फरवरी, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो कि उक्त परंतुक में निर्दिष्ट तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए है, जो उक्त तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए उक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लिखित शर्त के अधीन विवरणी प्रस्तुत नहीं करते है, लेकिन उक्त विवरणी को सितंबर, 2020 के 30वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यक्त किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूरी तरह से अधित्यक्त किया जाता है जहाँ कुल देय केन्द्रीय कर की राशि शून्य है:

परंतु यह भी कि उन करदाताओं के लिए जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक है, जो कि नियत तारीख तक मई, 2020 से जुलाई, 2020 माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को सितंबर, 2020 के 30वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यक्त किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूरी तरह से अधित्यक्त किया जाता है जहाँ कुल देय केन्द्रीय कर की राशि शून्य है।"।

2. यह अधिसूचना 25 जून 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्र. एफ–ए–3–85–2017–1–पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ–ए–3–85–2017–1–पांच (55), दिनांक 11 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 11th September 2020

No. F A 3-85/2017/1/V (55) : In exercise of the powers conferred by section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A-3-85-2017-1-V-(07) dated the 8th February, 2019, namely:–
In the said notification, after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely: –

"Provided also that for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table of the above proviso, who fail to furnish the returns for the tax period as specified in column (3) of the said Table, according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, but furnishes the said return till the 30th day of September, 2020, the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of State tax payable in the said return is nil:

Provided also that for the taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year, who fail to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of May, 2020 to July, 2020, by the due date but furnish the said return till the 30th day of September, 2020, the total amount of late fee under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of State tax payable in the said return is nil.".

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 25th day of June, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.